स्नातक स्तर

विषय चयन सम्बन्धी नियम (सेमेस्टर प्रणाली)

– छात्राएँ यू0 आई0 एन0 रजिस्ट्रेशन के साथ ही महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर प्रवेश के समय ही संकाय (B.A./B.Sc.) का चुनाव करेंगी ।

– बी.ए./बी.एस–सी. के प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय छात्राएँ तीन मेजर (मुख्य) विषयों का चुनाव करेंगी ।

मेजर विषय कला संकाय

समूह–अ भाषा/साहित्य	समूह–ब प्रायोगिक विषय	समूह–स सामाजिक विषय
1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. संस्कृत 4. उर्दू	1. भूगोल 2. मनोविज्ञान 3. संगीत 4. गृह विज्ञान	1. समाज शास्त्र 2. शिक्षा शास्त्र 3. अर्थशास्त्र 4. राजनीति शास्त्र

1. छात्राएँ समूह 'अ', 'ब' और 'स' में किसी एक समूह से अधिकतम दो विषयों का ही चयन कर सकेगी ।किसी एक समूह से तीन विषयों का चयन नही किया जायेगा ।

2. **'मनोविज्ञान' विषय एवं 'शिक्षाशास्त्र' विषय एक साथ चयनित नहीं किए जायेंगे ।**

3. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय छात्राओं को प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में एक माइनर इलेक्टिव विषय चयनित करना होगा ।
4. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय विद्यार्थी को सेमेस्टर के लिए एक रोजगार–परक (Vocational) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अध्ययन हेतू चयन करना होगा ।
5. स्नातक पाठ्यक्रम में छात्राओं को छः सेमेस्टर के प्रत्येक में एक अनिवार्य सह–पाठ्यगामी (CO-curricular) विषय का अध्ययन करना होगा।
6. स्नातक स्तर पर विषयों चयन में Prerequisite का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा।छात्राएँ मेजर या माइनर इलेक्टिव के रूप में वही विषय चयनित कर सकती है, जिसके लिए वह Prerequisite को Qualify कर रहीं हों
7. कला वर्ग के विषयों से इण्टरमीडिएट करने वाली छात्राएँ स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी

मेजर विषय विज्ञान संकाय

Group-A	Group-B	Group-C
1. Physics 2. Mathematics 3. Electronics	1. Chemistry 2. Environmental Science	1. Botany 2. Zoology 3. Microbiology

1. छात्राएँ 'विज्ञान संकाय' के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में अधिकतम 03 विषयों का चयन कर सकती हैं। सामान्य रूप से प्रथम सेमेस्टर में चयनित विषय का अध्ययन छात्राओं को द्वितीय, तृतीय चतुर्थ पंचम् और षष्ठ सेमेस्टर में भी करना होगा।
2. Per-requisite को Qualify करने की दशा में चयन के लिए छात्राओं को Group-A या Group-B या Group-C Group-C से पृथक–पृथक न्यूनतम न्यूनतम 02 अथवा अधिकतम 03 विषयों का चयन कर सकती है।
3. Per-requisite को Qualify करने की दशा में विषय संयोजन के लिए Group-B या Group-C से सम्मिलित रूप में न्यूनतम 02 अथवा अधिकतम 03 विषयों का चयन कर सकती है।
4. Group-A के चयन के लिए छात्राएँ Per-requisite को तभी Qualify करेगी जब उसने इण्टरमीडिएट में Physics और Mathematics विषयों का अध्ययन किया हो।
5. Group-B के विषय में Chemistry विषय चयन के लिए छात्राएँ Per-requisite को तभी Qualify करेगी जब उसने इण्टरमीडिएट में Chemistry विषयों का अध्ययन किया हो।
6. Group-C के विषय के चयन के लिए छात्राएँ Per-requisite को तभी Qualify करेगी जब उसने इण्टरमीडिएट में Biology विषयों का अध्ययन किया हो।

स्नातक स्तर पर कौशल–विकास आधारित पाठ्यक्रम (व्यावसायिक विषय)

व्यावसायिक विषय B.A./B.Sc.
1. ब्यूटीशियन (Beautician) 2. योगा (Yoga & Fitness) 3. खाद्य संरक्षण (Food Processing) 4. सिलाई एवं कढ़ाई (Tailoring & Embroidery)

1. धारा 11.03 के व्यवस्था के क्रम में महाविद्यालय वाकेशनल (Vocation) पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन/प्रशिक्षण विषय–वस्तु (Study/Trining Course content/Module) का निर्धारण अपने स्तर पर करेंगी तथा अपने यहाँ संचालित किए जाने वाले वोकेशनल पाठ्यक्रमो की सत्रवार सूची तथा पाठ्यक्रम संरचना अनिवार्यतः 15 सितम्बर तक विश्वविद्यालय को अध्ययन समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे।
2. एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले Individual nature के पाठ्यक्रम।

3. वोकेशनल (Vocation) पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन 100 अंक के सापेक्ष निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।
(a) विद्यार्थी के प्रशिक्षण (ट्रेनिंग आधारित) कार्य का मूल्यांकन 40 अंको में किया जायेगा।
(b) विद्यार्थी के सैद्धान्तिक (अध्ययन आधारित) कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों का होगा।

माइनर-इलेक्टिव विषय B.A./B.Sc.

1. हिन्दी	5. गृह विज्ञान	9. मनोविज्ञान	13. Botany	17. Physics
2. संस्कृत	6. संगीत	10. शिक्षा शास्त्र	14. Chemistry	18. Microbiology
3. उर्दू	7. अर्थशास्त्र	11. राजनीति शास्त्र	15. Mathematics	19. Electronics
4. अंग्रेजी	8. समाज शास्त्र	12.भूगोल	16. Zoology	20. Environmental Science

1. माइनर–इलेक्टिव विषय का स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए चयन पात्रता (Pre-requisite) के आधार पर किया जाना है। यह पाठ्यक्रम किसी विभाग/संकाय का नियमित पाठ्यक्रम भी हो सकता है। उदाहरण स्वरूप विज्ञान की छात्राएँ विज्ञान संकाय से 03 मेजर कोर्स चयनित करने के बाद 01 माइनर कोर्स 'इण्डियन कांस्टिट्यूशन' जो कला संकाय के राजनीति शास्त्र पाठ्यक्रम। विभाग का विषय है चयनित कर सकती हैं।
2. स्नातक पाठ्यक्रमों के छात्राएँ अपनी रूचि के अनुसार माइनर इलेक्टिव विषय को 'ओपन–इलेक्टिव' वर्ग से भी चयनित कर सकती है।
3. स्नातक पाठ्यक्रमों की छात्राएँ उन्ही प्रश्नपत्रों को माइनर–लेक्टिव के रूप में चयनित करेंगी जिसका सापेक्षिक क्रेडिट 4/5/6 होगा।
4. स्नातक की छात्राओं को प्रतिवर्ष के क्रम में माइनर–इलेक्टिव विषय चयनित करने की स्वतन्त्रता होगी। उदाहरण के लिए यदि छात्राएँ स्नातक प्रथम सेमेस्टर में किसी विषय को माइनर इलेक्टिव के रूप में चयनित करती हैं। तो उसकी परीक्षा उसे प्रथम समेमेस्टर में ही देनी होगी, वह यदि प्रथम के स्थान पर द्वितीय सेमेस्टर के माइनर इलेक्टिव विषय चयनित करती है। तो उसे उसकी परीक्षा द्वितीय सेमेस्टर में देनी होगी। समान व्यवस्था द्वितीय वर्ष के लिए भी जारी रहेगी।

स्नातक स्तर पर अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम (Co-Curricular) B.A./B.Sc.

1. (a) स्नातक के छात्राओं को प्रति सेमेस्टर के क्रम में निर्धारित सहगामी पाठ्यक्रम (Co-Curricular) का अध्ययन निवार्यतः करना होगा।
(b) अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम (Co-Curricular) का सेमेस्टर के अनुक्रम से वितरण निम्नलिखित है–

क्रम	वर्ष	सेमेस्टर	सहगामी पाठ्यक्रम
1.	प्रथम वर्ष	प्रथम सेमेस्टर	खाद्य पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)
		द्वितीय सेमेस्टर	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First Aid and Health)
2.	द्वितीय वर्ष	तृतीय सेमेस्टर	मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and /environmental Studies)
		चतुर्थ सेमेस्टर	शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)
3.	तृतीय वर्ष	पंचम् सेमेस्टर	विश्लेषणात्मक योग्यता एंव डिजिटल अवेयरनेस (Analaytic Abiloty and Digital Development)
		षष्टम् सेमेस्टर	संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication Skill and Personality Development)

2. स्नातक के अनिवार्य सहगामी पाठयक्रमों (Co-Curricular) के अध्ययन–अध्यापक के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की

स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रश्न-पत्र का प्रारूप एवं परीक्षा व्यवस्था

1. स्नातक पाठ्यक्रम के समस्त विषयों यथा – 03 मेजर विषय, 01 माइन इलेक्टिव विषय, 01 वोकेशनल विषय एवं 01 अनिवार्य को–करीकुलर विषय से सम्बन्धित प्रत्येक प्रश्नपत्र की परीक्षा 100 अंक के सापेक्ष सम्पन्न करायी जाएगी।
2. स्नातक/परास्नातक के प्रयोगिक विषयों से सम्बन्धित प्रायोगिक कार्य की परीक्षा 100 अंको के सापेक्षा सम्पन्न करायी जाएगी।
3. स्नातक पाठ्यक्रमों मे मेजर विषयों और माइनर–इलेक्टिव विषय की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत आंतरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाह्मूल्यांकन के आधार पर ही सम्पन्न करायी जाएगी।
4. स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम के मेजर विषयों/प्रश्नपत्रों और 01 अलेक्टिव विषय/प्रश्नपत्र के सतत आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित 25 अंकों का विभाजन निम्नवत होगा

   1. (a) छात्राओं को सापेक्षिक उपस्थिति के लिए 05 अंक निर्धारित होंगे जिसका विवरण निम्न प्रकार से किया जायेगा।

   (i) विद्यार्थी को 95% – 100% उपस्थिति के सापेक्ष 05 अंक

   (ii) 85% – 94% उपस्थिति के सापेक्ष 04 अंक

   (iii) 80%– 84% उपस्थिति के सापेक्ष 03 अंक

परास्नातक स्तर/स्नातकोत्तर स्तर

विषय चयन सम्बन्धी नियम (सेमेस्टर प्रणाली)

- छात्राएँ यू0आई0एन0 रजिस्ट्रेशन के साथ ही महाविद्यालय में परास्नातक स्तर पर प्रवेश के समय मान्यता प्राप्त पाँच विषयों में से एक का चुनाव करेंगी।
- एम0ए0 के प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय छात्राएँ इच्छानुसार विषय का चयन करते समय यह ध्यान देंगी कि जिस विषय का चयन कर रही हैं।वह विषय बी0ए0 तृतीय वर्ष में अवश्य हो।

परास्नातक स्तर के विषय				
1. गृहविज्ञान	2. हिन्दी	3. अर्थ शास्त्र	4. अंगेजी	5. समाज शास्त्र

- परास्नातक स्तर पर प्रवेश के उपरान्त छात्राएँ निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगी।
- परास्नातक स्तर एम0ए0 प्रथम वर्ष में (प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर)
- परास्नातक स्तर एम0ए0 द्वितीय वर्ष में (तृतीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर)
- प्रत्येक सेमेस्टर पूर्ण करने के लिए छात्राओं को एक असाइन्मेंट (आलेख), मिडटर्म इग्जाम (आन्तरिक परीक्षा) तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा देने पर ही पूर्ण होगा।

शुल्क विवरण

छात्राओं को उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण शुल्क एक किश्त में देय होगी।शुल्क की धनराशि में किसी भी समय उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन और विशविद्यालय द्वारा संशोधन किया जा सकता है।जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश स्वीकृत कर दिया जायेगा उन्हें निर्धारित तिथि तक कार्यालय में पूरा शुल्क जमा करना होगा अन्यथा उनका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।यदि शासन अथवा विश्वविद्यालय की ओर से भविष्य में शुल्क सम्बन्धी कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना महाविद्यालय के सूचना पट पर लगा दी जायेगी।

शुल्क जमा होने के बाद जमा शुल्क न वापस होगा और न ही अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा।

प्रवेश के समय छात्रा को शुल्क रसीद दी जायेगी यह शुल्क रसीद प्रत्येक छात्रा अपने पास सुरक्षित रखेंगी और विषयों से सम्बन्धित प्राध्यापिकाओं को दिखाकर अपना नाम सम्बन्धित विषय के उपस्थिति रजिस्टर में अंकित करायेंगी। इसी शुल्क रसीद को दिखाकर वे पुस्तकालय से पुस्तकालय कार्ड भी प्राप्त कर सकेंगी।प्रविष्ट छात्रा शुल्क रसीद को संभाल कर रखें।परीक्षाफार्म भरते समय इस रसीद की आवश्यकता पड़ेगी।

बी0 ए0 प्रथम वर्ष तथा बी0 एस–सी0 प्रथम वर्ष की छात्राओं तथा स्नातकोत्तर स्तर पर दूसरे विश्वविद्यालय से आने वाली छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त विश्वविद्यालय का नामांकन शुल्क देना अनिवार्य है।प्रयोगिक विषय लेने वाली छात्राओं द्वारा निर्धारित प्रायोगिक शुल्क देना अनिवार्य होगा।